नम्बर
अहका
हुक्म
में

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	जीसीएमएस नं0	निर्णय दिनांक
15 / 131 / 2025	07.08.2025	2025 / 338	23.04.2026

1- Punjab National Bank Armb East Delhi, Pocket- E ,Mayur Vihar Phase-II, New Delhi-110091

प्रार्थी

बनाम

1. M/s Bell Diamond Aluminium Private Limited, (Directors Mr. Suhail Singh And Namrata Bhatia) Registered office, 2747/6 Second Floor, Chuna Mandi, Paharganj Delhi Central Delhi India- 110055, F-27 A, Khushkhera, Bhiwadi 301019, G1-127 Khushkhera, Bhiwadi 301019 (Borrower)
2- Mr. Suhail Singh S/o Mr. Parvinder Singh Bhatia House no 99, Sandesh Vihar, Pitampura, New Delhi- 110034 (Director/Guarantor/Mortgagor)
3- Mrs. Namrata Bhatia W/o Mr. Parvinder Singh Bhatia House no 99, Sandesh Vihar, Pitampura, New Delhi- 110034 (Director/Guarantor/Mortgagor)
4- M/s Neera Metal Company Proprietor Mrs. Namrata Bhatia House no 99, Sandesh Vihar, Pitampura, New Delhi- 110034 (Guarantor/Mortgagor)
5- M/s Bhatia Trading Company Proprietor Mr. Parvinder Singh Bhatia House no 99, Sandesh Vihar, Pitampura, New Delhi- 110034 (Guarantor/Mortgagor)
6- Mr. Parvinder Singh Bhatia House no 99, Sandesh Vihar, Pitampura, New Delhi- 110034 (Guarantor/Mortgagor)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

––:: निर्णय ::––

प्राधिकृत अधिकारी, **Punjab National Bank Armb East Delhi, Pocket- E, Mayur Vihar Phase-II, New Delhi-110091** की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है, कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीयान को दिनांक 31.01.2025 को 21,06,47,133.49 /– इक्कीस करोड, छ लाख, सेतालिस हजारा एक सो तैतीस रूपये मात्र/ का ऋण प्रदान किया था। उक्त ऋण के पेटे में अप्रार्थी/जमानतदारो द्वारा प्रतिभूति के बतौर साम्यिक बन्धक सम्पत्ति **Plot No G1-127 Riico Industrial Area 11- D Khushkhera** Tehsil Tapukada Distt. Khairthal-Tijara (Rajasthan) स्थिति भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व **Parvinder Singh Bhatia** प्रार्थी बैंक के समक्ष बन्धक रखी गई है। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तो के मुताबिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत पंजीकृत नोटिस मियादी 60 दिन दिनांक 31.01.2025 भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी बैंक को नहीं की। बैंक ने उपरोक्त परिसम्पत्ति को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे बैंक के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति Plot No G1-127 Riico Industrial Area 11- D Khushkhera Tehsil Tapukada Distt. Khairthal- Tijara (Rajasthan) भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व Parvinder Singh Bhatia का कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार दिनांक 01.02.2025 को धारा 13 (2) के तहत नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाक अप्रार्थी को भिजवाया गया कि दिनांक 31.01.2025 तक के कुल बकाया 21,06,47,133.49/— इक्कीस करोड, छ लाख, सेतालिस हजारा एक सो तैतीस रूपये मात्र/एवं इसके पश्चात् का ब्याज एवं अन्य खर्चे सहित नोटिस की तारीख के 60 दिन में भुगतान कर दें किन्तु समयावधि समाप्त होने के उपरान्त भी ऋण की अदायगी नहीं गई। जिससे अप्रार्थी द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया जाना स्पष्ट है। सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः सिक्यूरेटी के रूप में रखी गई सम्पत्ति Plot No G1-127 Riico Industrial Area 11- D Khushkhera Tehsil Tapukada Distt. Khairthal- Tijara (Rajasthan) भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व Parvinder Singh Bhatia का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय प्रति तहसीलदार टपूकडा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि रहन रखी गई सम्पत्ति Plot No G1-127 Riico Industrial Area 11- D Khushkhera Tehsil Tapukada Distt. Khairthal- Tijara (Rajasthan) भूमि एवं भवन अन्तर्गत स्वामित्व Parvinder Singh Bhatia को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाया जावे। रहन रखी सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा—31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेंवे तथा कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाडी को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थी बैंक कब्जा लेने की तिथि व समय से पुलिस अधीक्षक भिवाडी को सूचित करें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल—तिजारा

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल—तिजारा